न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), कन्नौज।

इजराय वाद संख्या ०२/२०१८

१४.०२.२०१९

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर डिक्रीदारान की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

डिक्रीदारान की ओर से प्रार्थना–पत्र १६ईसी२ इस आशय का दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत आराजी/जायदाद पर अमीन अदालत द्वारा विधिवत डिक्रीदारान को दखल दिला दिया गया है। अब डिक्रीदारान इस निष्पादन वाद में पैरवी नहीं करना चाहते हैं। अतः निष्पादन वाद पूर्ण संतुिष्ट में निस्तारित करने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि मौके पर डिक्रीदार को मौके पर कब्जा प्राप्त हो चुका है जैसा कि उनके द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में स्वयं अंकित किया गया है। पत्रावली पर अमीन आख्या १५ग मय दखलनामा व मुनादीनामा दाखिल है। अब कोई निजा शेष नहीं है। ऐसी दशा में इजराय कार्यवाही को अग्रसारित किये जाने का अब कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। प्रस्तुत इजराय पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत इजराय पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित की जाती है। प्रार्थना–पत्र १६ईसी२ उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी०डि०),
कन्नौज।